भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3484
(10 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमानित लागत

3484. डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को समायोजित करने के लिए राज्यों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमानित लागत में संशोधन करने की अनुमति देती है;
(ख) यदि हां, तो 2017-18 और 2018-19 के दौरान अब तक कितने राज्यों ने विभिन्न परियोजनाओं की अनुमानित लागत में संशोधन किया है; और
(ग) ऐसे प्रस्तावों की लागत का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन संशोधनों के कारण लागत में कितनी वृद्धि/गिरावट हुई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के पैरा 11.5 के अनुसार, अतिरिक्त समय लगने, मध्यस्थता/न्यायिक निर्णय के कारण होने वाली सभी लागतों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि प्राप्त किए गए ठेकों का मूल्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए अनुमान से अधिक है तो चरण/बैच में स्वीकृत किए गए कार्यों के लिए पूरे राज्य के लिए पाए गए अंतर (निविदा प्रीमियम) को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना के स्वीकृत होने के पश्चात कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के मामले में लागत अनुमानों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) से (ग) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

*****